

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, लोक शिक्षण संचालनालय, परिसर, गौतम नगर, भोपाल-462023
(M.P. Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Directorate of Public Instruction Campus, Gautamnagar Bhopal-462023)
दूरभाष- 91-0755-2583653, फेक्स- 91-0755-2583651, Email: mp.rmsa@gmail.com

क्रमांक/लो.शि.सं./आर.एम.एस.ए./2/2010/ ५५

भोपाल, दिनांक 11/3/2011

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

एवं पदेन जिला परियोजना सभन्वयक (RMSA)

सगरल जिले म.प्र.

विषय- मॉडल स्कूलों का संचालन

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में माध्यमिक शिक्षा के सुदृढीकरण हेतु मॉडल स्कूल की योजना आरम्भ की गई है। मॉडल स्कूल की आधारणा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर एक ऐसा विद्यालय स्थापित करने की है जिसमें समग्र शैक्षिक वातावरण में निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात एवं अधोसंरचना के साथ सूचना संप्रेषण तकनीक के इस्तेमाल से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो एवं प्रभावी परिणाम हासिल हो सके।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में मॉडल स्कूल स्वीकृत किए गए हैं जिनकी सूची संलग्न है। इन मॉडल स्कूलों के भवन निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के पी.आय.पू को सौंपा गया है। वर्ष 2009-10 में स्वीकृत मॉडल स्कूलों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। वर्ष 2010-11 में स्वीकृत मॉडल स्कूलों के भवन निर्माण हेतु विकासखंड मुख्यालय पर भूमि उपलब्ध कराई जानी होगी। अतः भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें।


इसके अतिरिक्त 15 जून से मॉडल स्कूलों का संचालन भी आरंभ किया जाना है। वर्तमान में भवन निर्माण न होने के कारण अस्थायी भवन में मॉडल स्कूल संचालन हेतु निम्नानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर 10 मार्च 2011 तक सूचित करें-

1. शाला संचालन हेतु एक विकासखंड मुख्यालय स्तर पर ऐसे भवन की पहचान कर लें जिसमें कम से कम 4 से 5 कम उपलब्ध हों।
 - > यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो तो उसे ही प्राथमिकता के आधार पर चयनित करें।
 - > यदि शासकीय भवन उपलब्ध न हो तो किराए के भवन का चयन करें किन्तु यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लें कि भवन में शौचालय, पेयजल, विद्युत इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।
 - > यदि किराए का उपयुक्त भवन उपलब्ध न हो तो किसी माध्यमिक शाला के भवन का चयन कर वहाँ एक पाठी में माध्यमिक विद्यालय एवं एक पाठी में मॉडल स्कूल संचालित किया जाए।
2. इस शाला में नियमित बच्चों द्वारा अध्ययन किया जाएगा तथा पूरे विकासखंड के बच्चे इतने पढ़ने आने अतः स्थल का चयन करते वक्त यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शाला तक आवागमन सड़क रूप से हो सके।

RMSA
11/3/2011

परिशील - 20/2

उपरोक्तानुसार कार्रवाई कर संलग्न प्रपत्र में जानकारी 10 मार्च 2011 तक जानकारी भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र से मॉडल स्कूलों का संचालन आरंभ किया जा सके।



(अशोक वर्मा)

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/लोशिम/स.मा.शि.अ./2011/45
प्रतिनिधि-


मोपल दिनांक / फरवरी 2011

1. कलेक्टर की ओर सूचनाएं
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की ओर सूचनाएं
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण की ओर सूचनाएं


आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

अप्रतिपत्त जिला शिक्षा अधिकारी - हरदा (म.प्र.)
पृ. 5/RMSA/मॉडल विद्या/11/693 हरदा, दिनांक 03-03-11
प्रतिनिधि:-

- ① प्रत्यक्ष, शाका उच्छेद उपाय विद्या - विरक्ति विद्या
- ② विद्यालय शिक्षा कार्यकर्ता - विरक्ति, विद्यालय, जिला हरदा
जि. कोट संचालक एवं निदेशानुसार कार्यकर्ता के जिला शिक्षण
आयुक्त संकेत विद्यालय प्रपत्र में भेजें। यह कार्य-
पूर्व में भी आपसे पत्र व प्रपत्र विद्यालय में भेजा था।


District Project Coordinator
RMSA
Harda (M.P.)

12/6 - 26/2

			Year of Sanction	
80			2009-10	
81			2009-10	
82			2009-10	
83			2009-10	
84			2009-10	
85			2009-10	
86			2009-10	
87	16	Hoshangabad	Sohagpur	2009-10
88	17	Hoshangabad	Babai	2009-10
89	18	Hoshangabad	Barkhedi	2009-10
95	19	Jabalpur	Shahpura	2009-10
109	20	Khandwa	Harsud	2009-10
110	21	Khandwa	Pandhana	2009-10
111	22	Khandwa	Baladi (Killed)	2009-10
132	23	Panna	Panna	2009-10
133	24	Panna	Pawai	2009-10
148	25	Sagar	Banda	2009-10
149	26	Sagar	Bina	2009-10
150	27	Sagar	Khurai	2009-10
151	28	Sagar	Malthon	2009-10
152	29	Sagar	Shahgarh	2009-10
198	30	Vidisha	Basoda	2009-10
199	31	Vidisha	Nataran	2009-10
200	32	Vidisha	Sirong	2009-10
201	33	Vidisha	Latari	2009-10